न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
67 / 19	18.07.2019	02.12.2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

नन्द किशोर उर्फ किशोरी लाल आत्मज चन्दा लाल उर्फ चंदिया जाति बैरवा निवासी देव नगर (नयागांव) तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी

– वादी

बनाम

1. धन्नी बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दा लाल पत्नी छोटूलाल जाति बैरवा निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
2. पुष्पा बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दा लाल पत्नी गोमदा जाति बैरवा सामरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
3. काली बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दा लाल पत्नी मथुरालाल जाति बैरवा निवासी बम्बोलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसल दीगोद में वादी के पिता चंदालाल उर्फ चंदिया व कंवरया के खातें में ख0नं0 61 की 1.65 हे0, ख0नं0 62 की 0.63 हे0 व ख0नं0 303 की 0.54 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.82 हे0 भूमि स्थित चली आ रही थी। चन्दालाल उर्फ चंदिया व कंवरया की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 हिस्सा 1/2 से व रघुनाथ पुत्र कंवरया हिस्सा 1/2 से दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नन्दकिशोर का नाम सहवन से घर का नाम किशोरीलाल दर्ज हो गया है। साथ ही साथ पिता का नाम चन्दा लाल के स्थान पर चंदिया दर्ज हो गया है। यही नहीं वादी व प्रतिवादीगण की जाति बैरवा है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में चमार अंकित है, जो गलत है। इसी प्रकार ग्राम खेडली खुश्क तहसील दीगोद के ख0नं0 259 की 0.50 हे0 भूमि स्थित चली आ रही थी। चन्दालाल की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नाम दर्ज हुई। किन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में चन्दालाल के स्थान पर सहवन से कंवरया अंकित हो गया है। प्रतिवादी नं0 1–2–3 वादी की बहिने है जो ससुराल में निवास करती है। तथा उनका कभी भी भूमि पर कब्जा नहीं रहा है वैसे भी प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड रखा है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 मा 3 का नाम हटाया जाकर वादी को मद नं0 1 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का व मद नं0 4 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 4 ने उपरोक्त मद नं0 1 व 2 में उपरोक्तानुसार दुरूस्ती नहीं करनें पर दिनांक 20.06.2019 को उत्पन्न हुआ।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 61 की 1.65 हे0, ख0नं0 62 की 0.63 हे0 व ख0नं0 303 की 0.54 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.82 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोरीलाल आत्मज चंदिया चमार के स्थान पर नन्दकिशोर आत्मज चन्दालाल बैरवा अथवा नन्दकिशोर उर्फ किशोरी लाल आत्मज चन्दालाल उर्फ चंदिया जाति बैरवा दर्ज किया जावें। उक्त भूमि में से प्रतिवादी नं0 1–2–3 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड देनें व पिता के हिस्से की भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं किये जानें के कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम खेडली खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 259 रकबा 0.50 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम कंवरया चमार के स्थान पर चन्दालाल बैरवा दर्ज किया जावें तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादी नं0 1–2–3 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड देनें व पिता के हिस्से की भूमि में हिस्सा प्राप्त नहीं किये जानें के कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 4 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादी को प्रतिवादीगण से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री हरिशंकर मेघवाल का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा हमारें हिस्से की भूमि नन्दकिशोर उर्फ किशोरीलाल के नाम दर्ज की जावें। वादी का नाम नन्दकिशोर उर्फ किशोरीलाल आत्मज चन्दालाल उर्फ चन्दया जाति बैरवा दर्ज किया जावें तथा किशोरीलाल पुत्र कंवरया के स्थान पर किशोरीलाल आत्मज चन्दया उर्फ चन्दालाल दर्ज किया जावें। इस प्रकार इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 नें निवेदन किया कि वादी का वाद डिक्री किया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम फतेहपुर खुश्क सं0 2074–77 खाता नं0 111
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खेडली खुश्क सं0 2072–75 खाता नं0 11
3. शपथ पत्र धन्नी बाई पुत्री चन्दालाल पत्नी छोटूलाल जाति बैरवा निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
4. शपथ पत्र पुष्पा बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दालाल पत्नी गोमदा जाति बैरवा निवासी सामरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
5. शपथ पत्र काली बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दालाल पत्नी मथुरालाल जाति बैरवा निवासी बम्बोलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा

उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बाद बहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम फतेहपुर खुश्क सं0 2074–77 खाता नं0 111 के 1/2 हिस्से में वादी का नाम किशोरीलाल पुत्र चंदिया दर्ज है तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 सहखातेदार अंकित है तथा जमाबंदी ग्राम खेडली खुश्क सं0 2072–75 खाता नं0 11 पर किशोरीलाल पुत्र कंवरया अंकित है तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 सहखातेदार अंकित है। उक्त दोनों खाता नम्बरान में पक्षकारान् की जाति चमार दर्ज है। सहखातेदार प्रतिवादी नं0 1 लगातय 3 द्वारा प्रकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी का नाम दुरूस्त किये जानें तथा अपनें स्वत्व वादी के पक्ष में छोडनें की स्वीकृत जाहिर की गई है। वादी का नाम विवादित आराजीयात् के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जानें एवं अपनें स्वत्व

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

वादी के पक्ष में छोडनें में प्रतिवादी नं0 1 लगातय 3 को कोई आपत्ति नहीं है। जंहा तक जाति दुरुस्त करनें किये जानें का प्रश्न है तो राजस्व रिकॉर्ड में सम्मान जनक शब्दों के अंकन हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया है। जिससे विवादित आराजीयात् के राजस्व रिकॉर्ड में जाति चमार के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के इकबालिया जवाब प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्य से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 61 की 1.65 हे0, ख0नं0 62 की 0.63 हे0 व ख0नं0 303 की 0.54 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.82 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोरीलाल आत्मज चंदिया चमार के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ किशोरीलाल आत्मज चन्दालाल उर्फ चंदिया जाति बैरवा दर्ज किया जावें, प्रतिवादी नं0 1–2–3 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग देनें से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम खेडली खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 259 रकबा 0.50 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोरीलाल पुत्र कंवरया जाति चमार के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ किशोरीलाल आत्मज चन्दालाल उर्फ चंदिया जाति बैरवा दर्ज किया जावें, प्रतिवादी नं0 1–2–3 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग देनें से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा स्वत्व त्यागनें के परिणामस्वरूप नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल कर पालना करें। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 02/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर, एवं
दीगोद
सांगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

नन्द किशोर उर्फ किशोरी लाल आत्मज चन्दा लाल उर्फ चंदिया जाति बैरवा निवासी देव नगर (नयागांव) तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी

– वादी

बनाम

1. धन्नी बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दा लाल पत्नी छोटूलाल जाति बैरवा निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
2. पुष्पा बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दा लाल पत्नी गोमदा जाति बैरवा सामरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी
3. काली बाई पुत्री चंदिया उर्फ चन्दा लाल पत्नी मथुरालाल जाति बैरवा निवासी बम्बोलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–67 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 61 की 1.65 हे0, ख0नं0 62 की 0.63 हे0 व ख0नं0 303 की 0.54 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.82 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोरीलाल आत्मज चंदिया चमार के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ किशोरीलाल आत्मज चन्दालाल उर्फ चंदिया जाति बैरवा दर्ज किया जावें, प्रतिवादी नं0 1–2–3 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग देने से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम खेडली खुश्क तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 259 रकबा 0.50 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोरीलाल पुत्र कंवरया जाति चमार के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ किशोरीलाल आत्मज चन्दालाल उर्फ चंदिया जाति बैरवा दर्ज किया जावें, प्रतिवादी नं0 1–2–3 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग देने से प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 द्वारा स्वत्व त्यागनें के परिणामस्वरूप नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल कर पालना करें।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 02/12/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jabar Singh
Date: 2019.12.21 12:47:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: